(12)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—: आदेश :—

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इण्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारम्भिक–2014) के प्रश्न–पत्र के परीक्षा पूर्व सार्वजनिक हो जाने के मामले में भा0द0वि0 की धारा–419/420/467/468/471/34 एवं आई0 टी0 एक्ट की धारा–66/(डी.) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 की धारा–13(2) के तहत अगमकुऑं थाना में आपराधिक कांड संख्या–44/2017 दिनांक 04.02.2017 दर्ज हुआ है।

2. श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से.(बिहार :1987), तदेन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विरूद्ध प्रासंगिक आपराधिक कृत्य में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर दिनांक 24.02.2017 को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया गया है। श्री कुमार की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि अब 48 घंटे से अधिक हो गयी है।

3. वर्णित आलोक में श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से.(बिहार :1987), तदेन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–3 के उप नियम–2 एवं उप नियम–3 के प्रावधानों के तहत् उन्हें हिरासत में लिये जाने की तिथि से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन की अवधि में श्री कुमार को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–4 के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3/3/17

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

मुहरबंद ज्ञापांकः– 6/आ0–10/2017 सा0प्र0– 2628 पटना, दिनांक 03.03.2017

प्रतिलिपिः– श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बिहार:1987),तदेन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा– कारा अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

मुहरबंद ज्ञापांकः– 6/आ0–10/2017 सा0प्र0– 2628 पटना, दिनांक 03.03.2017

प्रतिलिपिः– कारा अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि आदेश की प्रति श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से.(बिहार:1987) को हस्तगत कराते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(11)

मुहरबंद ज्ञापांकः– 6/आ0–10/2017 सा0प्र0– 2628 पटना, दिनांक 03.03.2017

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना (पत्रांक 1431 दिनांक 27.02.2017 के प्रसंग में)/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 6/आ0–10/2017 सा0प्र0– 2628 पटना, दिनांक 03.03.2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ स्थापना पदाधिकारी, कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ सरकार के सभी विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/ उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन और सिंचाई भवन, पटना/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के प्रशाखा–01/ प्रशाखा–06 (निलम्बन समीक्षा पटल हेतु) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।